

आदेश

जिला कुरुक्षेत्र में आवश्यक खाद्य पदार्थों के रेट निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते हैं :-

क्रमांक	खाद्य वस्तु का नाम	निर्धारित रेट (प्रति किलोग्राम/लिट्र)
1	हरी दाल	100-110
2	तूर दाल	90-100
3	मूंग दाल साबूत	100-105
4	मूंग दाल धूली	115-120
5	उडद दाल धूली	110-115
6	उडद दाल बिना धूली	95-105
7	मश्री दाल	70-80
8	चना दाल	65-75
9	चीनी	35-39
10	चावल परमल	30-35
11	चावल सरबती	40-42
12	आटा	25-27
13	रिफाईण्ड आर्यल	90-100
14	नमक	18
15	हल्दी	140-160
16	मिर्च	200-240
17	जीरा	200-220
18	राजमा	90-115
19	काले छोले	55-65
20	बेसन	70-80
21	मैदा	25-27
22	सरसों का तेल	95-105

यदि कोई उक्त आदेशों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उपायुक्त कुरुक्षेत्र।

पृ० क्रमांक 2020/ 8622 दिनांक 28-03-2020

उपरोक्त की एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग ।
4. आयुक्त अम्बाला डिवीजन अम्बाला ।
5. महानिदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग चण्डीगढ़ ।
6. पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र ।
7. अतिरिक्त उपायुक्त, कुरुक्षेत्र ।
8. उपमण्डल अधिकारी (ना०) थानेसर, लाडवा, शाहबाद व पेहवा ।
9. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, कुरुक्षेत्र ।
10. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कुरुक्षेत्र ।
11. जिला राजस्व अधिकारी, कुरुक्षेत्र ।
12. सभी सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/ निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति सर्कल कुरुक्षेत्र ।
13. जिला प्रबन्धक, हैफेड कुरुक्षेत्र ।
14. पी.ए टू डी.सी/सी.टी.एम व नोटिस बोर्ड ।

उपायुक्त कुरुक्षेत्र।